प्रथम अपील

सेवा मे

श्रीमान मुख्य प्रबन्ध निदेशक,
पावरग्रिड कार्पोरेशन लि०
केन्द्रीय कार्यालय सौदामिनी प्लाट न०2
सेक्टर-29 गुड़गाँव

श्री सतीश जी
Sh Babu
27/12
27/12

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन सूचनाधिकारी द्वारा वांछित सूचना दिलाए जाने के सम्बन्ध में :-

महोदय,

आपके जनसूचनाधिकारी द्वारा दि० 30-10-2013 को संलग्न प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के विषय में जानकारी माँगी गई थी। लेकिन निर्धारित समय से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के विषय में जानकारी प्रदान नहीं की गई। जो निम्न प्रकार से हैं।

(1) सन 1993 में आपके तत्कालीन प्रबन्धक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बताया गया था कि ग्राम नौफरी आगरा स्थित खसरा न० 147 रकबा 0.541 एकड़ का भू अध्याप्ति अधिकारी द्वारा धारा 17 की कार्यवाही का सम्पूर्ण भाग पर पावरग्रिड/एन०टी०पी०सी० को कब्जा प्रदान कराया था।

(2) 16 Nov. 2012 को आपके जनसूचनाधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया है कि उपरोक्त खसरा न० 147 रकबा 0.541 एकड़ भूमि से भू अध्याप्ति अधिकारी द्वारा धारा 17 की कार्यवाही कर केवल 0.257 एकड़ भूमि पर पावरग्रिड को कब्जा प्रदान कराया था जिस पर वह काबिज है।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं में से कौन से बिन्दु में पावरग्रिड के दस्तावेजों के अनुसार दी गई जानकारी सत्य व सही है?

फीस हेतु प्रार्थी पुनः पोस्टल आर्डर सं. 20F 484824 को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। कृपया निर्धारित समय सीमा के अन्दर जवाब दिलाने का कष्ट करें। अन्यथा प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

प्रार्थी K Singh
20.12.2013

कृष्ण पाल सिंह तोमर पुत्र श्री गयाप्रसाद सिंह
नि० - दिगनेर
आगरा
मो० न० - [illegible]

SP AGRA FORT HO
Counter No:1,OP-Code:3
To:JAN SUCHNA ADHIKARI, DELHI, PIN:110001
From:KRISHNA PAL SINGH TOMAR, AGRA
Wt:20grams,
PS:5.00,Amt:34.00, 30/10/2013, 12:46
Taxes:Rs.4.00

India Post

सेवा में,

श्रीमान जन सूचनाधिकारी / ए०जी०एम० पी०ई० एस०एम०
पावर ग्रिड कार्पो० आफ इण्डिया लि०
बी-9 कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय नई दिल्ली

विषय -> आर०टी०आई० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र ->

महोदय,

निवेदन है कि निम्नांकित दो बिन्दुओं में एक कथन सत्य व सही है व दूसरा कथन असत्य है, कृपया पावरग्रिड कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट करें कि बिन्दु नं० 1 में माननीय न्यायालय को दी गई जानकारी सत्य व सही है अथवा बिन्दु नं० 2 में प्रार्थी को दी गई जानकारी सत्य व सही है ->

(1) यह है कि सन 1993 में आपके तत्कालीन प्रबन्धक श्री आर०एन. बोस द्वारा यह कहते हुए कि ग्राम नौफरी दिगनेर खसरा नं० 147 रकबा 0.541 एकड़ भूमि के समस्त भाग के लिए भूअधिग्रहण की धारा 4 व धारा 6 की कार्यवाही हुई थी तथा खेत नं० 147 के सम्पूर्ण भाग के लिए भू अध्याप्ति अधिकारी द्वारा धारा 17 की कार्यवाही कर ~~सब~~ तत्कालीन एन.टी.पी.सी. को कब्जा प्रदान किया था तथा सम्पूर्ण खेत का मुआवजा भू स्वामी को प्रदान कर दिया गया था। वाद सं. 782/93 भूस्वामी के विरुद्ध दाखिल कर दिया था।

(2) यह है कि 16 Nov. 2012 को पत्रांक सं. 8591 के द्वारा प्रार्थी को महोदय के द्वारा अवगत कराया गया था कि खेत नं० 147 रकबा 0.541 एकड़ भूमि के लिए धारा 4 व धारा 6 की कार्यवाही हुई थी परन्तु भू अध्याप्ति अधिकारी द्वारा केवल 0.257 एकड़ भूमि के लिए धारा 17 की कार्यवाही कर तत्कालीन एन.टी.पी.सी. वर्तमान पावरग्रिड को कब्जा प्रदान किया था जिस पर वह काबिज है।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु दस रु० का पोस्टल आर्डर सं. 20F-291682 को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। कृपया पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर जानकारी दिलाने का कष्ट करें। अन्यथा प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

K P Singh
28.10.2013

प्रार्थी
कृष्णपालसिंह तोमर पुत्र श्री रामप्रसाद सिंह
नि० - ग्रा०+पो० दिगनेर
थाना - ताजगंज
जिला - आगरा